अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 130(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 96(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दि कैंसर इंस्टिट्यूट (डब्ल्यू0आई0ए0) ट्रस्ट, पूर्व कनाल बैंक रोड, गांधी नगर, अदयार, चैन्नई-600020 द्वारा तमिलनाडु, चैन्नई में कैंसर संस्थान के समान्य वार्डों में गरीब कैंसर रोगियों को कैंसररोधी ओषधियों और मुफ्त भोजन प्रदान करने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में छः करोड़ पचास लाख रुपए की कार्पस निधि के रूप में अनुमानित लागत पर क्रम सं0 9 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 920 (अ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और, जबकि समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कैंसर इंस्टिट्यूट (डब्ल्यू0आई0ए0) ट्रस्ट, पूर्व कनाल बैंक रोड, गांधी नगर, अदयार, चैन्नई-600020 द्वारा तमिलनाडु, चैन्नई में कैंसर संस्थान के समान्य वार्डों में गरीब कैंसर रोगियों को कैंसररोधी ओषधियों और मुफ्त भोजन प्रदान करने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 29/2005/फा. सं. एनसी-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)